सं०सं० –11/न0वि0/विविध–03/2022 2005 न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार

(नगरपालिका प्रशासन निदेशालय)

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक:–

उमाकांत पाण्डेय,
परियोजना पदाधिकारी–सह–अपर निदेशक,
नगरपालिका प्रशासन निदेशालय।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
सभी नगर निगम।
कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर परिषद्/नगर पंचायत।
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
सभी प्रखण्ड, बिहार राज्य।

पटना, दिनांक– 28/7/22

विषय :– **मोबाईल टॉवर के अधिष्ठापन से संबंधित लंबित आवेदनों के निष्पादन हेतु पूर्व में निर्गत विभागीय मार्ग–निर्देश के संबंध में।**

प्रसंग:– **विभागीय पत्रांक–667 दिनांक–14.03.2022**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि प्रासांगिक पत्र द्वारा पूर्व में मोबाईल टॉवर के अधिष्ठापन से संबंधित लंबित आवेदनों के निष्पादन हेतु विभागीय मार्ग–दर्शन निर्गत किया गया था। उक्त विभागीय मार्ग–दर्शन की कंडिका–03 में नये नियमावली की कंडिका–09.10 के आलोक में कार्रवाई करने का निदेश दिया गया था। इस संबंध में कतिपय नगर निकायों द्वारा की गई पृच्छा के आलोक में स्पष्ट कहना है कि अनाधिकृत टॉवर के नियमितिकरण के मामले में नया नियमावली लागू होने के पूर्व की अवधि का बकाया राशि के गणना पुराने नियमावली के अनुसार किया जाना है। तद्नुसार बकाया राशि का निर्धारण करते हुए नियमितिकरण हेतु लंबित आवेदनों का निस्तारण किया जाय।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त मार्ग–निर्देश के आलोक में मोबाईल टॉवर के अधिष्ठापन से संबंधित आवेदनों का निष्पादन यथाशीघ्र सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

परियोजना पदाधिकारी–सह–अपर निदेशक,
नगरपालिका प्रशासन निदेशालय।

ज्ञापांक:–11/न0वि0/विविध–03/2022 2005 न0वि0एवंआ0वि0 दिनांक–28/7/22

प्रतिलिपि:–सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

परियोजना पदाधिकारी–सह–अपर निदेशक,
नगरपालिका प्रशासन निदेशालय।

ज्ञापांक:–11/न0वि0/विविध–03/2022 2005 न0वि0एवंआ0वि0 दिनांक 28/7/22

प्रतिलिपि:–मो0 नजर हुसैन, उप सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इस संबंध में अपने स्तर के सभी संबंधित प्राधिकार को अवगत कराने की कृपा की जाय।

परियोजना पदाधिकारी–सह–अपर निदेशक,
नगरपालिका प्रशासन निदेशालय।

विभागीय पत्रांक–40 दिनांक–01.02.2022 द्वारा बिहार मोबाईल टॉवर, ऑप्टिकल फाइबर केबल और संबंधित दूरसंचार और संरचना नियमावली 2020 से संबंधित विभागीय स्तर पर गठित कोषांग की दिनांक–15.07.2022 को आयोजित बैठक की कार्यवाही:–

उपस्थिति पंजी के अनुसार

कतिपय नगर निकाय द्वारा की गई पृच्छा के आलोक में कमिटी के समक्ष पूर्व में विभागीय पत्रांक–667 दिनांक–14.03.2022 के द्वारा निर्गत मार्ग निर्देश की कंडिका–03 के संबंध में लंबित आवेदनों के निष्पादन हेतु स्पष्टीकरण पर विचार किया गया। विचारोपरांत कमिटी द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त विभागीय निर्देश की कंडिका–03 में नयी नियमावली की कंडिका–9.10 के आलोक में कार्रवाई करने का निदेश गया था। इस संबंध में कतिपय नगर निकायों द्वारा की गई पृच्छा के आलोक में यह स्पष्टीकरण निर्गत किया जा सकता है कि "अनधिकृत टॉवर के नियमितिकरण के मामले में नयी नियमावली लागू होने के पूर्व की अवधि की बकाया राशि की गणना पुरानी नियमावली के अनुसार किया जाना है। तद्नुसार बकाया राशि का निर्धारण कर नियमितिकरण हेतु लंबित आवेदनों का निष्तारण करने के संबंध में सभी संबंधित प्राधिकार को इस आशय का स्पष्टीकारण निर्गत किया जा सकता है।"

15/07/22
आई0टी0 प्रबंधक

15.7.2022
प्रशाखा पदाधिकारी प्र0–11

15/7/2022
विधि सलाहकार(श्री ब्रजेश कुमार)

15/7
अपर निदेशक–सह–परियोजना पदा0

15/07/22
विशेष सचिव